

चन्द्र शर्मा आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर



वित्त उप समिति की बैठक

दिनांक 8.10.2021

का कार्यवृत्ता

**चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 08.10.2021 का कार्यवृत्त**

दिनांक : 08.10.2021

समास्थल : कुलपति महोदय का समिति कक्ष।

समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे

उपस्थिति :-


1.	डा० डी० आर० सिंह, कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त उप समिति	अध्यक्ष
2.	श्री बृजराज सिंह यादव विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उ० प्र० शासन
3.	श्री अजय जौहरी, अपर निदेशक कोषागार, कानपुर मण्डल, कानपुर एवं अपर आयुक्त वित्त कानपुर मण्डल	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त उ० प्र० शासन
4.	डा० रिपुदमन सिंह क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकार कानपुर नगर	सदस्य/प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा, उ० प्र० शासन
5.	श्री विनोद कुमार कटियार, विधायक सदस्य प्रबन्ध मण्डल	नामित सदस्य
6.	श्री आर० एन० सिंह, अर्थ नियंत्रक एवं सचिव वित्त उप समिति	सचिव

सर्वप्रथम कुलपति महोदय एवं अध्यक्ष, वित्त उप समिति द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सचिव, वित्त उप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० सदस्यों द्वारा मदवार चर्चा की गयी। प्रस्तुत प्रस्तावों पर मा० वित्त उप समिति द्वारा प्राप्त निर्णयों का मदवार विवरण निम्नवत् हैः-

प्रस्ताव सं०	प्रस्ताव एवं निर्णय
1	<p>प्रस्तावः— वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 14.9.2020 का कार्यवृत्त का अनुमोदन /पुष्टि।</p> <p>निर्णयः— मा० वित्त उप समिति द्वारा कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।</p>
2	<p>प्रस्तावः— वित्त उप समिति की बैठक दिनांक 14.9.2020 में लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही।</p> <p>निर्णयः—</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. मा० वित्त उप समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी एवं कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत कालेजो/भवनो/संस्थाओं के सुदृढीकरण का पुनरीक्षित प्रस्ताव शासन को प्रषित किया जाये। 5. कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी के सोलर लाइट का स्टीमेट के साथ प्रस्ताव अगली बैठक में प्रस्तुत किया जायें। 9. मा० वित्त उप समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि अर्थ नियंत्रक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों के अनुरूप गाइड लाइन तैयार की जाये। जिसका अनुमोदन मा० कुलपति महोदय से भी प्राप्त किया जाय। 10. विश्वविद्यालय प्रिन्टिंग प्रेस के रिवालिंग फण्ड की एस०ओ०पी० के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही प्राप्त न होने पर संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये गये।
3	<p>प्रस्तावः— बाबा सहाब डा० भीमराव अम्बेडकर कृषि एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा मे संचालित स्वः वित्त पोषित पाठ्यक्रम योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2021–22 के अनुमानित आय–व्यय को माननीय वित्त उप समिति के समक्ष विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णयः— मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव की संस्तुति की गयी। (व्यय माह जुलाई 2022 तक)</p>
4	<p>प्रस्तावः— दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा के शासन द्वारा कोई अनुदान प्राप्त न होने के कारण संचालित पाठ्यक्रम के शुल्क से प्राप्त आय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021–22 के आय–व्यय को वित्त उप समिति के विचार एवं स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णयः— मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव की संस्तुति की गयी।</p>
5	<p>प्रस्तावः— दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा के शैक्षणिक उन्नयन हेतु वित्त उप समिति/प्रबन्ध मण्डल की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णयः— मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गयी तथा निम्न निर्देश निर्देश दिये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. श्रमिक सेवा प्रदाता एजेंसी अथवा जैम पोर्टल के माध्यम से लिये जाये। 2. विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु वाहन अनुबन्ध पर लिया जाय।

6	<p>प्रस्ताव- मर्त्य महाविद्यालय एवं शाखा प्रस्ताव की स्थीकृति प्रदान की गयी।</p> <p>प्रस्ताव- कृषि महाविद्यालय लखणपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद, गोला में चन्द्र शेखर आजाद कृषि के पदों को वित्त उप समिति में प्रस्तुत कर स्थीकृत हुए प्रस्ताव।</p>
7	<p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव की स्थीकृति प्रदान की अनुमानित आय व्यय को मा० वित्त उप समिति के सम्मान विचार एवं स्थीकृत के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p>
8	<p>प्रस्ताव- कृषि विश्वविद्यालय लखणपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद, गोला में चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रोटोकॉलीकी विश्वविद्यालय की भौति एक डायर्टर को आउट सोसाइग के माध्यम से योजित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
9	<p>प्रस्ताव- कृषि विश्वविद्यालय लखणपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद, मा० प्रबन्ध मण्डल की 158वीं बैठक में बिन्दु स०-४ एवं मद स०-११, पुरक-१ में पारित निर्णय/आतेश के अनुगालन स्वरूप चिकित्सा सुविधा हुई एक एम्बुलेंस, छात्रों के भ्रमण हुई एक ५५ सीटर बस तथा डीन के प्रयोगार्थ एक वाहन क्रय करने हुए वित्त उप समिति में स्थीकृति हुए प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा निम्न निर्देश दिये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शासनादेश की व्यवस्था के अनुसार शासन से अनुमति प्राप्त करते हुये एम्बुलेंस क्रय की जा सकती है। 2. महाविद्यालय के प्रयोगार्थ शेष वाहन अनुबन्ध पर लिये जाये।
10	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय के सकाय सदस्यों, छात्र/छात्राओं एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण तथा अति महत्वपूर्ण कार्यों के सम्पादन हेतु २० कफ्टपूर्ट स्टेट सभी उपकरणों सहित क्रय किये जाने हेतु धनराशि स्थीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव संज्ञान में लिया गया तथा निर्देश दिये गये कि सामग्री की अनिवार्यता तथा बजट की उपलब्धता के अनुसार क्रय की कार्यवाही की जाय।</p>
11	<p>प्रस्ताव- कृषि महाविद्यालय, कानपुर कैम्पस में अनलाइन/हाइब्रिड क्रमायों विकास करने हेतु उस आने वाले अनुमानित व्ययमार की स्थीकृति सम्बन्धित प्रस्ताव शासन को प्रेति किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव को संस्कृत किया गया तथा निर्देश दिये गये कि व्यय विश्वविद्यालय की फीस मद/आय के श्रोतों से बजट की उपलब्धता के अधार पर किया जायेगा।</p>

12	<p>प्रस्ताव:- मानव चिकित्सालय में नियत वेतन (संविदा) पर फार्मसिट पुरुष एवं महिला कम्पाउण्डर की रु0 15000/- योजित करने का प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि नियुक्ति के स्थान पर योजित किया जाय।</p>
13	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में विभिन्न छात्रावासों में अधिवासित अध्यनरत छात्र/छात्राओं द्वारा जमा किये गये छात्रावास शुल्क के सापेक्ष व्यय किये जाने हेतु गाइड लाइन्स।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया तथा निम्न निर्देश दिये गये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. शुद्ध पानी की व्यवस्था की जाय। 2. सेनेटाइजर की व्यवस्था की जाय। 3. महिला छात्रावासों में सेनेट्री पैड की व्यवस्था की जाय। 4. प्रस्ताव के बिन्दु सं0 4 एवं 5 पर होने वाला व्यय गेम्स की गतिविधियाँ प्रभावित न हो को ध्यान में रख कर ही किया जाय।
14	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय अध्यनरत छात्र/छात्राओं द्वारा जमा किये गये गेम्स शुल्क एवं विभिन्न श्रोतों के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि जो गेम्स एकाउन्ट मे जमा की जाती है, के सापेक्ष व्यय किये जाने हेतु गाइड लाइन्स।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि कीड़ा शुल्क की धनराशि उसी मद में व्यय की जायेगी।</p>
15	<p>प्रस्ताव:- छात्रावास अधीक्षक एवं छात्रावास परिचर हेतु मासिक भत्ते का प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- छात्रावास अधीक्षकों को मोबाइल रिचार्ज हेतु रु0 300/- प्रति माह तथा छात्रावास परिचर हेतु रु0 150/- प्रतिमाह पर सहमति प्रदान की गयी।</p>
16	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक भ्रमण हेतु दैनिक भत्ता के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि अन्य विश्वविद्यालयों से तुलना करके रु0 150/- के अन्तर्गत धनराशि निर्धारित की जायें।</p>
17	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं सेवानिवृत्त शिक्षकों/वैज्ञानिकों/कर्मचारियों/संविदा/दैनिक/समान कार्य समान वेतन पर कार्यरत स्टाफ को स्वैच्छिक ब्लाडसुगर एवं बी0पी0 की जाँच न्यूनतम दर पर विश्वविद्यालय मानव चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति संज्ञानित हुयी।</p>
18	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के समस्त नियमित एवं सेवा निवृत्त शिक्षक/वैज्ञानिक/कर्मचारी/संविदा/दैनिक/समान कार्य समान वेतन पर कार्यरत स्टाफ को आकस्मिकता के समय मानव चिकित्सालय में उपलब्ध एम्बुलेन्स की सुविध सामान्य दर पर उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति संज्ञानित हुयी।</p>



19

प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में संचालित कृषक सहभागी बीज उत्पादन योजना "फसल" में विभिन्न मर्दों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय होने वाली धनराशि को योजना के रिवाल्विंग फण्ड खाता संख्या 31580894200 से व्यय किये जाने का अनुमोदन/स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव प्रबन्ध समिति में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

20

प्रस्ताव:- गृह विज्ञान महाविद्यालय में वस्त्र एवं परिधान विभाग, प्रसार शिक्षा एवं संचार प्रबन्धन विभाग एवं खाद्य एवं प्रोष्ण विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि व्यय अतिआवश्क कार्यों की प्रथामिकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जाये।

21

प्रस्ताव:- गृह विज्ञान महाविद्यालय के गृह विज्ञान संकाय, मानव विकास विभाग एवं परिवारिक संसाधन एवं प्रबन्धन विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर निर्देश दिये गये कि व्यय अतिआवश्क कार्यों की प्रथामिकता एवं धन की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराये जाये।

22

प्रस्ताव:- कुल सचिव कार्यालय के पत्र सं० 3109 दिनांक 14 मार्च 2021 द्वारा दीक्षान्त समारोह, संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं परीक्षा मद में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित अनुमान का प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

23

प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में डेरी रिवल्विंग फण्ड खाता संख्या 30212203394 से आहरण वितरण के सम्बन्ध में नियमावली स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।
निर्णय:- कोई नियमावली प्रस्तुत नहीं है। अतः समिति गठित करते हुये नियमावली निर्मित कर कुलपति के अनुमोदनोपरान्त समिति के समक्ष रखें।

24

प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के अधीन संचालित महाविद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे संविदा/गेस्ट फैकल्टी कार्मिकों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने विषयक प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर निर्देशित किया गया कि आई०सी०ए०आर० एवं यू०जी०सी० के गाइडलाइन के अनुसार शासन से निर्देश प्राप्त किया जायें।

25

प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के अधीन संचालित 18 छात्रावासों एवं 01 अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास कुल 19 छात्रावासों के अनुरक्षण रख-रखाव एवं सफाई व्यवस्था तथा राष्ट्रीय पर्व/सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल कूद प्रतियोगिताओं पर वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में होने वाले सम्भावित व्यय की स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने हेतु विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

26

प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय की प्राप्तियों में सुधार हेतु अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास में विदेशी छात्रों के अधिवासित होने के पश्चात अवशेष सूट/कमरों को विश्वविद्यालय के अतिथियों/विशिष्ट अतिथियों को आवंटित किये जाने हेतु दरें निर्धारित किये जाने हेतु विचार किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।
निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

27	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ किये जाने हेतु ₹0 103.40 लाख का वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p>
28	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में स्थापित प्रयोगशाला में Hand on Training for operation and maintenance of advance laboratory equipment का प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम संचालित किये जाने व प्रशिक्षण शुल्क ₹0 750.00 प्रति विद्यार्थी प्रति सप्ताह प्रति उपकरण की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>
29	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में स्थापित प्रयोगशाला में विश्लेषण प्रति नमूना प्रति कारक का निर्धारित विश्लेषण शुल्क ₹0 100.00 मात्र की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>
30	<p>प्रस्ताव:- अलसी फसल Lead centre for Distinctness, Uniformity and stability (DUS) testing of Linseed को विश्वविद्यालय में प्रारम्भ किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>
31	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में संचालित AICRP on NSP-Crops (NSP Breeder Seed Production & NSP-Seed Project) के पुनर्गठन हेतु अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>
32	<p>प्रस्ताव:- शोध निदेशालय के अधीन संचालित योजनाओं की Revolving Fund के संचालन के लिये Standard Operating Procedure (SOP) बनाये जाने हेतु दिनांक 6.2.2021 आयोजित बैठक का कार्यवृत्त।</p>
33	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में कृषि विपणन सम्बन्धी प्रोफेसर चेयर की स्थापित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव।</p>
34	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न योजनाओं (प्लान/नानप्लान/तदर्थ योजनाएं/तदर्थ परीक्षण) में विभिन्न कृषि कार्यों को सम्पादित करवाने हेतु चिन्हित कार्यों एवं कृषि क्रियाओं में श्रमिकों की संख्या (यूनिट) के निर्धारण हेतु संशोधित नियमावली अनुमोदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p>
35	<p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>

✓

✓

35	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय के अन्तर्गत संचालित वानिकी महाविद्यालय वर्ष 2002 में निर्मित भवन का रंगाई पुताई एवं मरम्मत कार्य कराने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा आवश्यकता नहीं पायी गयी।</p>
36	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय में ई-गवर्नेन्स लागू किये जाने हेतु रु० 75.00 लाख का वित्तीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव में ई-एडमिशन, ई-काउसिलिंग को सम्मिलित करते हुये किसी संस्था से स्टीमेट प्राप्त करते हुये पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाय।</p>
37	<p>प्रस्ताव:- निदेशालय बीज एवं प्रक्षेत्र के अधिनस्थ प्रक्षेत्रों, बीज विद्यायन संयंत्र (आधारीय) एवं कार्यालय हेतु विभिन्न मदों में वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय होने वाली धनराशि का विश्वविद्यालय में संचालित मेगा रिवल्विंग फण्ड खाता सं० 301346326327 से व्यय किये जाने का अनुमोदन/स्वीकृत हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा आय बढ़ाने की शर्त के साथ प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। (विश्वविद्यालय मेगा रिवल्विंग फण्ड में रु० 30.00 लाख उधार के रूप में दिया जायेगा जिसके सापेक्ष निदेशक बीज एवं प्रक्षेत्र द्वारा रु० 80.00 लाख की आय होने का आश्वासन दिया गया।)</p>
38	<p>प्रस्ताव:- इटावा प्रांगण में विभिन्न विभागों के अन्तर्गत युवाओं, महिलाओं, कृषकों एवं स्थानीय कारीगरों के स्वारोजगार हेतु व्यवसायिक पाठ्यक्रम को वर्ष 2021-22 से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गयी।</p>
39	<p>प्रस्ताव:- कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद, में छात्रों के अध्यापन हेतु एक हाइब्रिड क्लास रूम (आन लाइन/आफ लाइन कक्षाओं हेतु) एवं डिजिटल पांडियम सी०पी०य० सहित क्य करने हेतु वित्त उप समिति के अनुमोदन हेतु।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा यह निर्देश दिये गये कि व्यय धन की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आधार पर किया जाये।</p>
40	<p>प्रस्ताव:- मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद, मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद-खण्डपीठ लखनऊ, में विश्वविद्यालय द्वारा अधिवक्ताओं के पक्ष में केविएट दाखिल करने एवं महत्वपूर्ण प्रकरणों पर विधिक राय हेतु शुल्क निर्धारित किये जाने विषयक।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
41	<p>प्रस्ताव:- केन्द्रीय पुस्तकालय के Demands of Funds से सम्बन्धित प्रस्तावों को वित्त उप समिति के अनुमोदन हेतु।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा पूर्व में उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण प्रस्तुत करते हुये प्रस्ताव अगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश दिये गये।</p>

42	<p>प्रस्ताव- शाकभाजी अनुमोदन के अधीन शाकभाजी शोष प्रक्रिया कल्यानपुर, कानपुर पर संचालित शाकभाजी रियलिंग फण्ड के सफल संचालन हेतु Standard Operating Procedure (SOP) बनाने हेतु कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित समिति के सदस्यों द्वारा दिनांक 28.8.2021 को आयोजित होठक में उच्च स्तरीय विधायकी का प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा निर्देश दिये गये कि अर्थ नियन्त्रक की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर स्वीकृतियों के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों/आईसी०एआर के अनुरूप गाइडलाइन के अनुसार एसओ०ए तैयार की जाये जिसका अनुमोदन मा० कुलपति महोदय से भी प्राप्त करते हुये मा० प्रबन्ध मण्डल में प्रस्तुत किया जाय।</p>
43	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में स्थापित हिन्दी भाषा प्रकार्च के सफल संचालन हेतु धनराशि रु० 1.25 लाख मात्र का आवंटन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
44	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में समय-समय पर आयोजित होने वाले स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सफल संचालन हेतु धनराशि रु० 1.00 लाख मात्र का आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
45	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में स्थापित कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई (ए०क००५८०५००) द्वारा विश्वविद्यालय के समस्त विभागों/अनुभागों में इन्टर्नेट वाई-फाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु धनराशि रु० 1.50 लाख मात्र का आवंटन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
46	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में स्थापित आई-सी०एआर नाइल मैत्र में एक कम्प्यूटर अपार्टर आउट सोसाइट के माध्यम से रु० 20,000.00 मात्र प्रति माह नियम बेतन पर एवं कृषि ज्ञान प्रबन्धन इकाई (ए०क००५८०५००) में एक कम्प्यूटर विशेषज्ञ रु० 30,000.00 मात्र प्रति माह नियम बेतन पर एवं जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा कम्प्यूटर विशेषज्ञ को रु० 25,000.00 (लक्ष्या पच्चीस हजार) मात्र प्रतिमाह पर योगित किये जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया।</p>
47	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों/अनुभागों में विभिन्न विषयों में अध्यापन कार्य हेतु योगित किये जाने वाली गेस्ट फेल्टीज/टीचिंग एसोसिएट के प्रति शैक्षणिक वर्ष में किये जाने वाले भुगतान हेतु अधिकातम धनराशि रु० 15,00 लाख (लाख एक्स्ट्रा पन्द्रह लाख) मात्र का आवंटन ऐसे मौद्र में शासन से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव संशोधित किया गया।</p>
48	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में प्रकृति संरक्षण जागरूकता कार्यक्रम अयोजित करने हेतु उस व्यय हेते वाली धनराशि जास्ता रु० 1.10 लाख (रुपया एक लाख दस हजार मात्र) अवधित किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>

✓

49	<p>प्रस्ताव- नवीन शिक्षा नीति के अनुपालन में दुख प्रौद्योगिकी महाविद्यालय इटावा में हाइब्रिड कक्षाओं के सचालन हेतु अनुमानित व्ययमार की स्थीरता हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के सम्बन्ध में।</p>
50	<p>प्रस्ताव- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के साजस्व मद का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित अनुमान का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
51	<p>प्रस्ताव- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के पूँजीगत मद (चलू तथा नवीन योजनाये) का वित्तीय वर्ष 2021-22 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रस्तावित अनुमान का अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
52	<p>प्रस्ताव- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर मुख्यालय के वित्तीय वर्ष 2020-21 का वास्तविक/पुनरीक्षित व्यय एवं वित्तीय वर्ष 2021-22 का अनुमानित आय-व्ययक के कानपुर मुख्यालय अन्तर्से आय श्रोत एवं शासन द्वारा प्राप्त अनुदान के सापेक्ष महत्वार व्यय के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p>
53	<p>प्रस्ताव- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर मुख्यालय का वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2020-21 तक का अधिक विठ्ठल वित्त उप समिति में प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।</p> <p>अध्यक्ष महात्म्य की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।</p>
54	<p>प्रस्ताव- विश्वविद्यालय में विधिक सलाहकार के रूप में कार्यरत श्री उत्तम कुमार चर्मा, अधिवक्ता का नियत मानदेय वृद्धि अनुमत्य कराये जाने हेतु प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय- मा० वित्त उप समिति द्वारा मानदेय रु 25000/- से बढ़ाकर रु 30000/- करने पर स्थीरता प्रदान की गयी है।</p>

२९.

29.

(@)

पूरक- 2	<p>प्रस्ताव:- कृषि महाविद्यालय लखीमपुर खीरी कैम्पस, जमुनाबाद गोला खीरी का प्रस्तावित आय-व्यय विवरण वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति द्वारा प्रस्ताव पर संज्ञान लिया गया।</p>
पूरक- 3	<p>प्रस्ताव:- विश्वविद्यालय मे विभिन्न विभागों/अनुभागों मे विभिन्न विषयों के अध्यापन कार्य हेतु सत्र 2021-22 मे योजित किये जाने वाली गेस्ट फेकल्टीज/टीचिंग एसोसिएट के प्रति शैक्षणिक वर्ष मे किये जाने वाले भुगतान हेतु अधिकतम धनराशि रु० 1,50,00,000.00 (रुपया एक करोड़ पचास लाख) मात्र का आवंटन गैर वेतन मद मे शासन से प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति प्रस्ताव से संज्ञानित हुई तथा निर्देश दिये गये कि प्रकरण शासन को भी अवगत कराया जायें।</p>
पूरक- 4	<p>प्रस्ताव:- चन्द्र शेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर मे सीवर लाइन बिछाने, भूमिगत जलाशय का निर्माण कार्य, ट्यूबवेल का निर्माण कार्य एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान का निर्माण कार्य के सम्बन्ध मे प्रस्ताव।</p> <p>निर्णय:- मा० वित्त उप समिति प्रस्ताव से संज्ञानित हुई तथा निर्देश दिये गये कि प्रकरण शासन को भी अवगत कराया जायें।</p>

मा० वित्त उपसमिति के सदस्यों द्वारा बैठक भत्ता रु० 1500/-प्रति बैठक से बढ़कर रु० 3000/- प्रति बैठक किये जाने का मा० कुलपति/अध्यक्ष वित्त उपसमिति से अनुरोध किया गया तदनुसार प्रस्ताव आगामी प्रबन्ध मण्डल मे प्रस्तुत किया जाय।

अन्त मे बैठक मा० अध्यक्ष एवं सम्मानित सदस्यो को संधान्यवाद सम्पन्न हो गयी।


 (आर०एन० सिंह)
 अर्थ नियंत्रक
 एवं
 सचिव वित्त उप समिति


 (डा० डी०आर० सिंह)
 कुलपति
 एवं
 अध्यक्ष वित्त उप समिति